

**Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.**  
**Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005**

No: IPI/P-2(24)168/2023/6888

Date: 24.09.2026

**OFFICE ORDER (63/2026)**

**Subject: RIICO Building Regulations-2025 (amendment in existing Building Regulations upheld with RIICO Disposal of Land Rules-1979) – in regards levy of betterment charges**

An agenda item (4) was placed before the Infrastructure Development Committee (IDC) in its meeting held on 17.09.2026. The Committee accorded approval for the following:

| जिन भूखण्डों पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित है, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरणों में बेटरमेंट लेवी भवन मानचित्र जारी किये जाने से पूर्व एक मुश्त जमा करवाई जानी होगी। बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने पर देय बेटरमेंट लेवी की राशि विकासकर्ता द्वारा निम्नानुसार आठ किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी:- |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समयावधि                                                    |
| बेटरमेंट लेवी का 1 प्रतिशत + लागू 100 प्रतिशत जीएसटी                                                                                                                                                                                                                                                      | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने से पूर्व                   |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से छह माह          |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से एक वर्ष         |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से एक वर्ष छह माह  |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से दो वर्ष         |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से दो वर्ष छह माह  |
| बेटरमेंट लेवी का 15 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                               | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से तीन वर्ष        |
| बेटरमेंट लेवी का 9 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                | भवन मानचित्र स्वीकृति जारी करने की तिथि से तीन वर्ष छह माह |

Note: Other provisions under this rule will remain same.

Accordingly, table for installments provided at point no. 5 of Annexure-A of Form E-1 of RIICO Disposal of Land Rules 1979, shall be replaced as above.



(Nimisha Gupta)  
Advisor (Infra)

Copy to:

1. [units@riico.co.in](mailto:units@riico.co.in)
2. [staff@riico.co.in](mailto:staff@riico.co.in)